

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:प 12(23)वन/05

जयपुर, दिनांक:- 12.10.12

संशोधित आदेश

राजस्थान वन सेवा के नियम 35 द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना प. 7 (1)कार्मिक/क-2/96 दिनांक 10.10.02 के अनुसार श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, नियमित सहायक वन संरक्षक का नाम विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में यथा स्थान निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

क.सं.	जारी वरिष्ठता सूची क्रमांक एवं दिनांक	वर्ष	विवरण
1.	प0 12(23)वन/05 दिनांक 3.11.2008	1.4.08	क्रम संख्या 66. श्री जिग्नेश शर्मा एवं क्रम संख्या 67. श्री सुदर्शन शर्मा के मध्य क्रम संख्या 66ए पर
2.	प0 12(23)वन/05 दिनांक 15.7.2010	1.4.09	क्रम संख्या 60. श्री जिग्नेश शर्मा एवं क्रम संख्या 61. श्री सुदर्शन शर्मा के मध्य क्रम संख्या 60ए पर
3	प0 12(23)वन/05 दिनांक 12.10.12	1.4.10	क्रम संख्या 56. श्री जिग्नेश शर्मा एवं क्रम संख्या 57. श्री सुदर्शन शर्मा के मध्य क्रम संख्या 56ए

आज्ञा से,

SA.

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली

Adk/A

17/10/12

अनुभागाधिकारी